कार्यालय तहसीलदार तहसील, चौमूं जिला जयपुर।

क्रमांक / आर.ए. / 2024 / 1106 दिनांकः–27/2/24

प्रमाण–पत्र

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का, हाड़ौता प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम हाड़ौता, तहसील, चौमूं के आराजी खसरा नम्बर 2041 / 1 रकबा 0.61 है0 भूमि का जमाबन्दी से नामानतरकरण अंजनी माता शिक्षण संस्थान, हाड़ौता के नाम से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अंजनी माता शिक्षण संस्थान, हाड़ौता ने उक्त सम्पूर्ण 0.61 है0 भूमि का बेचान जरिये उप पंजीयक, पंजीयन क्रमांक : 202403059100069 दिनांक 03.01.2024 एवं 202403144100104 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापीठ समिति, चौमूं, जयपुर को कर दिया है।

श्रीमान प्रभारी अधिकारी, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक : BR/LR/NLRMP/F-26/2022/356 दिनांक 06.02.2024 के तहत रूपान्तरित भूमि का स्थानान्तरण होने पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जायेगा। जिस कारण से उक्त भूमि का नामान्तरकरण महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापीठ समिति के नाम नहीं खोला जा सकता है।

ग्राम हाड़ौता, तहसील, चौमूं के आराजी खसरा नम्बर 2041 / 1 रकबा 0.61 है0 भूमि का स्वामित्व महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापीठ समिति, चौमूं, जयपुर के नाम है। इस भूमि का भू–उपयोग शैक्षणिक प्रयोजनार्थ है।

तहसीलदार, तहसीलदार
चौमूं। तहसील चौमूं (जयपुर)

सचिव
महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापीठ समिती
चौमूं (जयपुर)

प्रारूप ''ब''

देखिये नियम 9(3)(4) और (6)

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

कमांक: आर18बी (15) 11/संस्था/

दिनांक:–

:: संपरिवर्तन आदेश ::

अंजनी माता शिक्षण संस्थान जरिये ट्रस्टी जगदीश प्रसाद कुडी पुत्र हरदेव प्रसाद हाडोता तह0 चौमू के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	अंजनी माता शिक्षण संस्थान जरिये ट्रस्टी जगदीश प्रसाद कुडी पुत्र हरदेव प्रसाद हाडोता तह0 चौमू
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नही
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:–	
(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम एवं ग्राम पंचायत हाडोता पं.स. गोविन्दगढ तह. चौमू
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.नं 2041/1 रकबा 0.61 है0 एवं ख0न0 2056 रकबा 0.27 है0 कुल किता– कुल रकबा 0.88 है0
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल(हेक्टै.या व.मी. में)	ख.नं 2041/1 में से 6100 व0मी0 एवं ख0न0 2056 में से 2000 व0मी0 कुल 8100 व0मी0 वर्गमीटर भूमि रूपान्तरित की गई।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक संस्थान प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	41.77/– प्रति व0मी0
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	चा.नं. 400 दि0 25.11.2011 से राशि 3,38,337/– राजकोष में जमा कराई गई।
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नही
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नहीं
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के आधीन जारी किया गया है।	नही
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	इंडियन रोड कॉग्रेस के मापदण्डानुसार सडक सीमा हेतु ख0न0 2056 में से 100 व0मी0 भूमि प्रभावित है जिसका आवेदक द्वारा समर्पण किया जा चुका है तथा इसी खसरा नम्बर में 600 व0मी0 भूमि एच.टी.लाईन से प्रभावित होने के कारण रूपान्तरित नही की गई है।

सचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापीठ समिती

चौमू (जयपुर)

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा:--

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(3) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / अन्य सडक मार्ग जहां से सपरिपर्तित भूमि पर पहुँच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक हेतु छोडी गई भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में समर्पित की जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडकों से रास्ता चाहते है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

(6) आवेदित स्थल के निकटस्थ नगरपालिका / स्थानीय निकाय की उप विधियों एव निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सक्षम कमेटी के द्वारा प्लान अनुमोदित करवाया जाकर ही निर्माण कराया जा सकेगा।

(7) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज–6 / 92 पार्ट / 21 दिनांक 27.6.07 एवं प.6(6) राज–6 / 92 पार्ट / 23 दिनांक 17.7.07 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।

(8) संपरिवर्तित की गई भूमि का ले–आउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन कराया जावेगा। मानचित्र अनुमोदन के पश्चात ही संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण / बेचान किया जा सकेगा। मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व जो भूमि आईआरसी के मापदण्डानुसार रास्ता / सडक सीमा हेतु छोडी गई है उसे राज्यहित में सडक के रूप में तहसीलदार के समक्ष समर्पित कर रिकार्ड में अकन करवाकर राजस्व रिकार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(9) आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दि0 15–5–08 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

(10) राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 एवं इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र / निर्देशों की सभी शर्ते लागू होगी।

(11) संपरिवर्तित भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.65 (310)एसई / स्थानि / जैसारो / 2005 / 12259 दिनांक: 11.02.05 में अंकित शर्ते लागू होगी।

sd/-
जिला कलक्टर,
जयपुर।

क्रमांक:– सम / 16152–58
दिनांक:– 15-12-11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, चौमू ।
4. तहसीलदार, तहसील चौमू जिला जयपुर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत हाडोता, पंचायत समिति गोविन्दगढ।
6. अंजनी माता शिक्षण संस्थान जरिये ट्रस्टी जगदीश प्रसाद कुडी पुत्र हरदेव प्रसाद हाडोता तह0 चौमू जिला जयपुर।
7. आदेश / गार्ड पत्रावली

अति0 कलक्टर (राजस्व)
जयपुर।

सचिव
महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापीठ समिती
चौमू (जयपुर)